न्यायालय–सुकुल राम, अवर न्यायाधीश–1, नरकटियागंज

बंटवारा वाद सं0–36/2024

अफसाना खातून...वादिनी

बनाम

महम्मद आजाद एवं अन्य..प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
22.01.2026	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। प्रतिवादी सं0–01 तथा 02 की तरफ से एक आवेदन अंदर दफा 5 लिमिटेशन एक्ट दिनांक 15.10.2025 को दाखिल किया गया, जो आज दिनांक 22.01.2026 को आदेश हेतु नियत है। प्रतिवादी सं0–01 तथा 02 के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते है कि इस वाद में प्रतिवादी सं0–01 तथा 02 दिनांक 29.04.2025 को वकालतन न्यायालय में हाजिर हुए थे और अपना ब्यान तहरीरी दाखिल करने हेतु समयावेदन दिया था। ब्यान तहरीरी तैयार करने हेतु आवश्यक कागजात की खोजबीन किये जो समय से प्राप्त नहीं हो सका। लेहाजा, ब्यान तहरीरी दाखिल करने में विलम्ब हुआ। प्रतिवादी सं0–01 तथा 02 द्वारा जानबूझकर विलम्ब नहं किया गया है, बल्कि कागज समय पर उपलब्ध नहीं होने के कारण विलम्ब हुआ है। प्रतिवादी सं0–01 तथा 02 अपना ब्यान तहरीरी दाखिल कर अपने वाद में संघर्ष करना चाहते है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रतिवादी सं0–01 तथा 02 द्वारा दाखिल ब्यान तहरीरी को स्वीकार करने की कृपा किया जाए। वादिनी द्वारा प्रतिवादी सं0–01 तथा 02 के आवेदन का कोई प्रतिउत्तर दाखिल नहीं किया लेकिन मौखिक विरोध किया गया एवं आवेदन खारिज होने योग्य बताया गया। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है प्रतिवादी सं0–01 तथा 02 की ओर से एक आवेदन दिनांक 15.10.2025 को दाखिल किया गया तथा निवेदन किया गया है कि प्रतिवादी सं0–01 तथा 02 द्वारा दाखिल ब्यान तहरीरी को स्वीकार करने की कृपा की जाए। विधि का सुस्थापित नियम है कि किसी भी वाद का निष्पादन उभय	

न्यायालय–सुकुल राम, अवर न्यायाधीश–1, नरकटियागंज

बंट्वारा वाद सं0–36/2024

अफसाना खातून..वादिनी

बनाम

महम्मद आजाद एवं अन्य..प्रतिवादीगण

लगातार **22.01.2026**	पक्षों को सुनकर किया जाना चाहिए, जिससे वाद का निष्पादन प्रभावी ढंग से किया जा सकें और वाद की बहुलता को रोका जा सकें। अतः न्यायहित प्रतिवादी सं0–01 तथा 02 का आवेदन दिनांक 15.10.2025 को मो0–500/– रू0 के हर्जे पर स्वीकृत किया जाता है। वाद दिनांक 10.03.2026 को अग्रीम कार्रवाई वास्ते नियत किया जाता है। (लेखापित) अवर न्यायाधीश–1 नरकटियागंज	